कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.11.219 द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 3671/2019 कैलाश चन्द्र आर्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2019 की अनुपालना में श्री कैलाश चन्द्र आर्य को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर व श्री राकेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुसलमानों की ढाणी, भालेसर जिला बाडमेर में माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन पदस्थापित/समायोजित किया गया था। उक्त आदेश में सहवन से श्री राकेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य का समायोजित स्थान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुसलमानों की ढाणी, भालेसर जिला बाडमेर अंकित हो गया था। अतः श्री शर्मा का संशोधित समायोजन स्थान राउमावि मुसलमानों की ढाणी, भालेसर, बाडमेर के स्थान पर राउमावि, हरसानी, गडरा रोड जिला बाडमेर संशोधित पढा जावे। मूल आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/कैलाश आर्य/3671/2019 दिनांकः 30.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/जोधपुर संभाग, जयपुर/जोधपुर ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/बाडमेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner